न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा
उनवान - रामप्यारी V/s [illegible] देवी वगै.
टीआई मु.नं. - 19/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी हु
5/5/26	आज PO साहब अन्य काम मे/मीटिंग/दोरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 19/05/26 को पेश हों।	
19/05/26	वकील प्रार्थी उप0/वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5, 12, 13 व 14 की ओर से अनुपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी 1 लगा0 5, 12, 13 व 14 को बार–बार आवाज लगाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5, 12, 13 व 14 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5, 12, 13 व 14 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होती है। अतः प्रकरण में वर्णित भूमि के वाद की सुनवाई के दौरान खुर्द–बुर्द की संभावना को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ग्राम मोडापट्टी पटवार हल्का मेहसरा खुर्द भू.अभि.नि.क्षेत्र जसोता तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त भूमि के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित खसरा नं. 446 रकबा 0.46 है0, ख0 नं. 453 रकबा 0.44 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर खसरों पर दिनांक 21.04.2023 को पारित आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा उभयपक्षकारान को राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया था, को अब मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षकारान को प्रतिबंधित कर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को पुष्ट (Confirm) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व मूलवाद के साथ संलग्न रहे। सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा	